बांसवाडा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– पूजा कुमारी पार्थ (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 01/2018

उनवान मुकदमा

2. श्री डायालाल यादव आत्मज श्री कुबेर उम्र वयस्क ,निवासी वृद्वावन सिनेमा के पीछे, पुराना यादव मौहल्ला ,बांसवाडा तहसील व जिला बांसवाडा(राज0)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री राजकुमार कोठारी आत्मज श्री छगनलाल,उम्र वयस्क ,जाति कोठारी ,निवासी भुषण टेन्ट हाउस के

सामने कस्टम चौराहा बांसवाडा तहसील व जिला बांसवाडा(राज0)

2. त्रयम्बकेषवर ठाकुर (रिटार्यड टिचर),उम्र वयस्क जाति ब्रहम्ण निवासी गायत्री गार्डन के पीछे ,प्रगति नगर,बांसवाडा तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि

निर्णय

दिनांक :–

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि, प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया उसके साथ एक प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे काष्त की कृषि भूमि खाता संख्या 40 नया 31 पुराना के आराजी सर्वे नम्बर 1599रकबा 5 बिस्वा मौजा प्रगति नगर बांसवाडा तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित है । जिस पर प्रार्थी व उसके पूर्वज कदिमाना समय से काबिज है । अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है । लेकिन अप्रार्थीगण अपने बाहुबल के आधार पर येनकेन प्रकरण प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि पर कब्जा कर प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि बेदखल करना चाहते है । प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया प्रमाणित है एवं सुविधाओं का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ।

30/4/19

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.28 16:21:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जिसके जवाब में अप्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 तथ्य अस्त्य होने से अस्वीकार कर अप्रार्थी आबादी रूपान्तरित भूमि श्रीमान् सहायक कलैक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी भूमि रूपान्तरण बांसवाडा के कार्यालय आदेष क्रमांक भू. रू/88/428/368'372 दिनांक 12.06.1993 से अराजी सर्वे नं.1596 ग्राम ढेढापाल बांसवाडा मे से 875 वर्गगज भूमि आबादी से रूपान्तरित हुई उसमें से एक प्लॉट 30 फीट बाय 40 फीट का विक्रय मुल्य रूप्या 35000/– में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.07.1997 से क्रय किया है एवं इसी प्लॉट पर अप्रार्थी का वर्ष 1997 से ही कब्जा चला आ रहा है ।

न्यायालय में दोनो वकील पक्ष की बहस सुनने के बाद किस्म मुकदमा 212 के प्रार्थना पत्र में प्रकरण के मुल वाद के प्रकरण में विचाराधिन मूल वाद के निस्तारण तक मौजा प्रगति नगर बांसवाडा की खाता संख्या 40 नया 31 पुराना के सर्वे नंबर 1599 रकबा 5 बिस्वा भूमि रेकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाई रखने पाबन्द किया जाकर प्रकरण में अस्थाई निषेIघाज्ञा जारी की जाकर पत्रावली फैसल शुमार कर मूल वाद के सलग्न की जाती है ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पत्रावली फैसल शुमार कि जाती है।

आदेश आज दिनांक 30/05/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.28 16:21:08 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा पार्थ आई.ए.एस)
30/5/2019
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

Scanned by CamScanner